घीसा वगै0 **बनाम** **राज0 सरकार वगै0**

प्रकरण सं. 35/2018

तारीख हुक्म	कार्यवाही	
18.10.19	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्षान उप.। पैरोकार सरकार उप.। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम हेतु नियत हैं। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में लिखित कथनानुसार अभिकथन दोहराते हुए वादग्रस्त आराजीयात पर अप्रार्थीगण सं. 3 लगायत 6 व 24 को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किए जाने का अनुरोध किया। प्रार्थी अधिवक्ता ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबंदी ग्राम बडगांव संवत् 2070–73 के खाता सं. 389 में दर्ज अनुसार भूमि किता–3 रकबा 2.91 हैं0 प्रार्थीगण के पिता श्री मांगीलाल पुत्र बख्तावर कौम माली की खातेदारी आराजीयात होने एवं प्रार्थीगण के अनवरत कब्जा काश्त भूमि होने के बावजूद अप्रार्थीण सं. 3 लगायत 6 व 24 द्वारा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त भूमि में जबरन दखलंदाजी करने एवं भूमि को खुर्द–बुर्द करने का प्रयास किया जा रहा हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता होना बताते हुए मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण सं. 3 लगायत 6 व 24 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्याय संगत ठहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 10 लगायत 29 के अधिवक्ता ने पूर्व में ही जवाब प्रस्तुत कर विवादित आराजीयात में प्रार्थीगण का हिस्सा दिये जाने संबंधी सहमति जाहिर की। पैरोकार सरकार का जवाब हक बंद किया जा चुका हैं। अप्रार्थी सं. 7 व 8 ने प्रार्थी के पक्ष में जवाब पूर्व में ही प्रस्तुत कर दिया गया हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 लगायत 6 व 9 ने अपने जवाब अनुसार निवदेन किया कि वादग्रस्त आराजीयात में अप्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा एवं अधिकार निहित हैं, जिस पर प्रतिवादी का कब्जा अनवरत चला आ रहा हैं। प्रार्थीगंण द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर प्रकरण प्रस्तुत किया गया हैं, जो वर्तमान स्थिति में खारिज योग्य हैं। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का पुरजोर अनुरोध किया। पैरोंकार सरकार द्वारा वादगस्त आराजीयात से किसी भी प्रकार का राजहित प्रभावित न होने के कारण मात्र वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादग्रस्त आराजी श्री मांगीलाल पुत्र बख्तावर कौम माली की खातेदारी होना स्वीकार किया। मेरे द्वारा उभयपक्षान की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तो पाया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बडगांव के खसरा नं. 1822, 1823, 1824 किता–3 कुल रकबा 2.91 हैं0 भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज श्री मांगीलाल पुत्र बख्तावर कौम माली के नाम दर्ज हैं। अप्रार्थी सं. 3 लगायत 6 व 9 के अधिवक्ता ने वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा होना बताया लेकिन इस संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता हैं। साथ ही प्रार्थना पत्र अनुसार यदि अप्रार्थीगण सं. 3,4,5,6 व 24 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाती हैं तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की पूरी–पूरी संभावना भी प्रतीत होती हैं। **–:आदेश:–** अतः बहस उभयपक्षान एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी ग्राम बडगांव पटवार हल्का बडगांव एवं भू.अ.नि. क्षेत्र कनेईकलां स्थित आराजी खसरा नं. 1822 रकबा 0.02, 1823 रकबा 2.00, 1824 रकबा 0.89 किता 3 रकबा 2.91 हैं0 भूमि पर अप्रार्थीगण सं. 3 लगायत 6 व 24 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वे ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण के हक अधिकार एवं कब्जा काश्त भूमि पर किसी प्रकार की दखंलदाजी/अनाधिकृत प्रवेश नही करेंगें एवं न ही किसी अन्य से करायेंगें। यथानुसार तहसीलदार भिनाय को तहरीर जारी होकर आदेश की तामिली की जाकर पत्रावली मूलवाद के साथ संलग्न हों। पत्रावली फैसल शुमार हो। **निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।** उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर) 18/10/19	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.02.18 15:17:47 IST
Reason: SelfAttested